PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

AMBALA CANTT

CORRIGENDUM

The 26th July, 1990

No. S.E./P.W.D./B. and R./Ambala/1684.—Notification under section IV of the Land Acquisit ion Act, 1894 for the acquisition of land for the scheme constg. link road from Naraingarh Sadhaura road to village Rampur Raian published,—*vide* Notification No. S. E./P.W.D./B. and R./Ambala/1681, dated 6th July, 1990 in *Haryana Government Gazette*, dated 17th July, 1990, page 777-778 may be read as under :—

(1) Constg. Link road from Naraingarh Sadhaura road to village Rampur Raian in Yamuna Nagar District.

(2)	District	Tehsil	Locality/Village
	Yamuna Nagar	Jagadhri	Rampur Raian

INSTEAD OF

(2) Constg. Link road from Naraingarh Sadhaura road to village Rampur Raian

(2)	District	Tehsil	Locality/Village
	Naraingarh	Jagadhri	Rampur Raian

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,

Ambala Circle, P.W.D., B. and R. Branch,
Ambala Cantt.

लोक निर्माण विभाग

भवन एवं सड़क शाखा

अम्बाला परिमंडल

शुद्धि

दिनांक 26 जुनाई, 1990

नं० एस० ई०/लो० नि० वि० भ० एवं स०/अम्बाला/1684.—भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन जिला यमुनानगर में लिंक सड़क नारायणगढ़ सढौरा से गांव रामपुर राईयां हेतु अधिसूचना नं० एस०/ई०/लो०

नि० वि०, भवन एवं सड़क शाखा/अम्बाला/1681, दिनांक 6 जुलाई, 1990 द्वारा भूमि अभिग्रहण की जानी थी जो कि हरियाणा सरकार गजट, दिनांक 17 जुलाई, 1990 पृष्ट नं० 778 पर हिन्दी में निम्नलिखित छापा गया था:—

(1) जिला अम्बाला में लिंक सड़क नारायणगढ़ सढौरा सड़क से गांव रामपुर राईयां ।

(2) जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	रैक्टैन्गल नं०/किला नं०
यमुनानगर	जगाधरी	रामपुर राइयां	144	0.71	$\frac{8}{21}$, $\frac{16}{6,\ 15,\ 11,\ \frac{25}{2}}$

अब इसकी बजाय नीचे दिया गया पढ़ा जाये ।

(1) जिला यमुनानगर में लिंक सड़क नारायणगढ़ सढौरा सड़क से गांव रामपुर राईयां ।

(2) जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव	हदबस्त नं०	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	रैक्टैन्गल नं०/किला नं०
यमुनानगर	जगाधरी	रामपुर राईयां	144	0.71	$\frac{8}{21}$, $\frac{16}{6,\ 15,\ 16,\ \frac{25}{2}}$

एन० के० खन्ना,

अधीक्षक अभियन्ता,
अम्बाला परिमण्डल, लो० नि० वि०,
भवन एवं सड़क शाखा, अम्बाला छावनी ।

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

दिनांक 26 जुलाई 1990

क्रमांक 8370/पंचायव,—ग्राम पंचायत केहरपुरा व ग्राम पंचायत कोहाड़ खण्ड तोशाम, जिला भिवानी की एक पंचायत होती थी और दोनों पंचायतें अलग बन गई परन्तु दोनों पंचायतों की शामलात भूमि का बटवारा नहीं किया गया था। दोनों पंचायतों ने शामलात भूमि के बटवारे के लिए इस कार्यालय में दरखास्त दी जिस पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तोशाम की रिपोर्ट मंगवाई गई और खण्ड अधिकारी तोशाम की रिपोर्ट के आधार पर निदेशक पंचायत हरियाणा को शामलात भूमि के बटवारे की स्वीकृति देने बारे लिखा गया था । और दोनों पंचायतों को 749 कनाल 4 मरले कोहाड़ व 249 कनाल 1 मरला केहरपुरा पंचायत को दी गई थी और इसका इन्तकाल ग्राम पंचायतों के नाम हो गया था । परन्तु ग्राम पंचायत कोहाड़ ने दिवानी अदालत में केस दायर कर दिया और इसकी अपील जिला सेशन जज ने

दिनांक 23 अक्तूबर, 1982 को यह फैसला किया कि जो निम्न अदालत ने फैसला किया है वह ठीक नहीं है। और निम्न अदालत के फैसले को सैट असाईड कर दिया। और आगे आदेश में यह भी लिखा कि जो निदेशक पंचायत ने 6 जनवरी, 1976 को जो फैसला किया है वह गलत है। और किसी पार्टी पर पाबन्द ना है। परन्तु इसकी अपील हाई कोर्ट में ग्राम पंचायत केहरपुरा द्वारा की गई और हाई कोर्ट ने 10 अक्तूबर, 1984 को निदेशक पंचायत के फैसले को गलत माना। जिस में कि हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन का हवाला दिया। इसके पश्चात् निदेशक पंचायत को नोटिफिकेशन के बारे में इस कार्यालय द्वारा लिखा गया था। परन्तु निदेशक पंचायत ने अपने पत्र क्रमांक एल-ए-1-87/15162, दिनांक 10 अप्रैल, 1987 द्वारा इस कार्यालय को लिखा कि ग्राम पंचायत एक्ट, 1952 की धारा III में उपायुक्त ही जमीन के बटवारे के बारे में सक्ष्म है।

मुल कागजात निदेशक पंचायत हरियाणा चण्डीगढ़ से प्राप्त करने के पश्चात् उप-मण्डल अधिकारी (ना.), भिवानी से दोनों पंचायतों की शामलात भूमि के बटवारे बारे स्पष्ट रिपोर्ट जनसंख्या, ठोला, पाना, पति नम्बरदारी, चुल्हा टैक्स, आय व्यय तथा विकास कार्यों के आधार पर भेजने को लिखा गया। उप-मण्डल अधिकारी (ना.), भिवानी की रिपोर्ट क्रमांक 2931, दिनांक 18 अक्तूबर, 1988 प्राप्त होने पर दोनों पंचायतों को निजी सुनवाई के लिए मैंने दिनांक 15 नवम्बर, 1988 को बुलाया और दोनों पंचायतों के सरपंचों व पंचों व गांव के मौजिज आदमियों को सुना।

अत : मैं उप-मण्डल अधिकारी (ना.), भिवानी की रिपोर्ट व दोनों पंचायतों की सुनवाई व रिकार्ड जो मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया के आधार पर ग्राम पंचायत एक्ट 1952 की धारा III के अन्तर्गत ग्राम कोहाड़ जिसका कुल रकबा 3,914 एकड़ तथा गांव केहरपुरा जिसका रकबा 1,856 एकड़ है। और इनका अनुपात 1/3 : 2/3 कोहाड़ केहरपुरा बनता है। इस अनुपात के अनुसार ग्राम पंचायत कोहाड़ को शामलात भूमि 654 कनाल 8 मरले व ग्राम पंचायत केहरपुरा को 323 कनाल 17 मरले भूमि का निम्न प्रकार से बटवारा करता हूं।

ग्राम पंचायत कोहाड़ का भाग खसरा नं० व रकबा			ग्राम पंचायत केहरपुरा का भाग खसरा नं० व रकबा		
खसरा नं०	रकबा		खसरा नं०	रकबा	
	कनाल	मरले		कनाल	नरले
69/3/2	3	0	203/16	8	0
69/8	8	0	203/24	8	0
11	8	0	25	8	0
12	8	0	210/1	8	0
13	8	0	10	8	0
18	8	0	211/4	8	0
19	8	0	5	8	0
20	8	0	6	8	0
83/9	8	0	263/11	8	0
10	8	0	12	8	0
84/1	4	2	20	8	0
2	8	0	21	2	11
3	8	0	264/8	4	14
4	8	0	9	2	11
5	8	0	12	8	0

ग्राम पंचात कोहाड़ का भाग
खसरा नं० व रकबा

खसरा नं०	रकबा	
	कनाल	मरले
6	8	0
7	8	0
69/9	9	9
10	7	18
21	8	0
22	8	0
23	8	0
68/3	6	14
4	6	13
6	9	9
7	8	0
8	8	0
16	8	0
17	8	0
18	8	0
19	6	14
12	4	2
13	8	0
14	8	0
15	8	0
22	8	0
23	8	0
24	8	0
25	8	0
83/1	8	0
2	8	0
3/1	2	13
85/23	4	14
118/5	8	0
50/23-2	1	2
11/10-2	2	0
101/6	8	0
7	8	0
14	8	0

ग्राम पंचायत केहरपुरा का भाग
खसरा नं० व रकबा

खसरा नं०	रकबा	
	कनाल	मरले
13	8	0
14	7	8
15	8	0
16	8	9
17	7	14
18	8	0
19	8	0
21	8	0
22	8	0
277/2	8	0
3	8	0
4	8	0
5	7	8
8	8	0
9	8	0
278/1	8	0
2	8	18
9	4	12
250/13-1	2	16
204/20	8	0
21	8	0
129/13	8	0
18	8	0
19	5	10
22/2	2	16
23	8	0
134/3	7	8
196/3	7	6
4	8	0
5/1	3	16
कुल रकबा	323	17

ग्राम पंचायत कोहाड़ का भाग
खसरा नं० व रकबा

खसरा नं०	रकबा	
	कनाल	मरले
15	8	0
16	8	0
17	8	0
8	8	0
9	8	0
12	8	0
13	8	0
18	8	0
23	8	0
24	8	0
25	8	0
3/2	2	8
4	8	0
5	8	0
102/1-2	4	0
2	8	0
3	8	0
4/1	2	12
9	8	0
10	8	0
11	8	0
12	8	0
19	8	0
20	8	0
21	8	0
22	8	0
117/1	8	0
2	8	0
9	8	0
10	8	0
12	7	8
13/2	6	0
18/1	0	12
19	6	16

ग्राम पंचायत केहरपुरा का भाग
खसरा नं० व रकबा

खसरा नं०	रकबा	
	कनाल	मरले

ग्राम पंचायत कोहाड़ का भाग खसरा नं० व रकबा			ग्राम पंचायत केहरपुरा का भाग खसरा नं० व रकबा	
खसरा नं०	रकबा		खसरा नं०	रकबा
	कनाल	मरले		कनाल मरले
23	7	8		
118/3-1	4	18		
4/1	2	0		
129/2	5	14		
3	8	0		
8	8	0		
9	8	0		
12	8	2		
कुल रकबा	654	8		

(हस्ताक्षर). . . .,
उपायुक्त, भिवानी।

विकास तथा पंचायत विभाग

दिनांक 22 जून, 1990

संख्या 6361-72/पंचायत-90.—उपमण्डल अधिकारी (ना०) जीन्द तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत पाण्डू पिन्डारा खण्ड जीन्द निम्नलिखित आरोपों की प्रथम दृष्टि से दोषी पाई गई :—

1. यह कि ग्राम पंचायत पाण्डू पिन्डारा में गम्भीर पार्टीबाजी है ।
2. यह कि ग्राम पंचायत ने आज तक ग्राम सभा की कोई भी बैठक नहीं बुलाई है ।
3. यह कि हर अमावस्या को लगने वाले मेले का प्रबन्ध ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता था, लेकिन ग्राम पंचायत में पार्टीबाजी होने के कारण मेले में कोई योगदान नहीं देती है जिससे यात्रियों को कठिनाई होती है ।
4. ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली में कोई रूचि नहीं ली है ।
5. यह कि गांव के विभिन्न विकास कार्य जैसे गलियां पक्की करना, कुआं आदि बनाना, स्कूल भवन आदि ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग न देने के कारण अधूरे/ठप्प हैं ।
6. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा आज तक राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे अल्प बचत योजना व परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि में कोई सहयोग नहीं दिया है ।
7. यह कि ग्राम पंचायत न तो किसी विकास कार्य में रूचि लेती हैं और न ही कोई सहयोग देती है बल्कि दोनों पार्टियां हर समय आपस में अशान्ति का महौल बनाये रखती हैं जिस कारण गांव में हर समय तनाव बना रहता है ।

इस कार्यालय के पत्र, क्रमांक 4810-16/पंचायत-90, दिनांक 16 मई, 1990 द्वारा ग्राम पंचायत पाण्डू पिन्डारा के सभी सदस्यों व ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत पाण्डू पिन्डारा को ग्राम पंचायत एक्ट, 1952 की धारा 103(1) के तहत

उपरोक्त आरोपों के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। सर्वश्री रणधीर पंच, हुक्मा पच, अलीशेर पंच व श्रीमति यशवन्ती देवी, महिला पंच ने सामूहिक उत्तर दिया है और उन्होंने अपने उत्तर में लगाये गये आरोपों का कोई स्पष्टीकरण ना देकर श्री जयपाल, सरपंच पर आरोप लगाये हैं और लिखा है कि वे सरपंच के साथ काम नहीं कर सकते। भी जयपाल, सरपंच ने कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर दिया है उसमें भी अन्य पंचों पर आरोप लगाये हैं। इस प्रकार सब का उत्तर असन्तोषजनक है और तथ्यों पर आधारित ना है उन्होंने जो एक दूसरे पर प्रति आरोप लगाये हैं, से एक बात तो स्पष्ट है कि वे मिलकर पंचायत का काम नहीं कर सकते।

सरपंच व पंचों का जवाब ध्यानपूर्वक विचारोपरान्त असन्तोषजनक पाया है। अतः, मैं, पी० पी० सिंह साहनी, आई०ए०एस०, उपायुक्त, जीन्द, ग्राम पंचायत एक्ट, 1952 की धारा 103(1) के तहत ग्राम पंचायत पाण्डू पिन्डारा को निलम्बित करता हूं और ग्राम पंचायत एक्ट, की धारा 103(2)(सी) के तहत समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द को ग्राम पंचायत पाण्डू पिन्डारा का प्रशासक नियुक्त करता हूं ताकि पंचायत का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(हस्ताक्षर) . . .,

उपायुक्त, जीन्द।

36011 CS(H)--Govt. Press, U.T., Chd.